भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1404
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आधार कार्ड आधारित योजनाएं और कार्यक्रम

1404. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सार्वजनिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू की गई आधार कार्ड की आवश्यकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने लाभार्थियों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आधार कार्ड न होने के कारण लोगों को लाभ नहीं प्रदान किए गए , यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार आधार कार्ड को छोड़कर अन्य दस्तावेज स्वीकार करती है , यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) भारत के निवासियों को आधार जारी करता है और आधार धारक की पहचान के सत्यापन के लिए प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है। योजना को कार्यान्वित करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यक्ति की पहचान स्थापित करके लाभों के पारदर्शी वितरण के लिए अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों में आधार का उपयोग करती है।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए धोखाधड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सही लोगों तक पहुंचें। सरकार द्वारा भारत/राज्य की समेकित निधि से वित्त पोषित कुछ योजनाओं के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है।

अधिनियम में यह भी उल्लिखित है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है , तो उन्हें लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, उन्हें आधार के लिए आवेदन करना होगा और जब तक आधार जारी नहीं किया जाता है , वे योजना का लाभ लेने के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आधार की कमी के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से बाहर नहीं रखा गया है।

आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अब तक 2800 से अधिक सरकारी योजनाओं को आधार के उपयोग के लिए अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा, आधार अधिनियम की धारा 4(6) में उल्लिखित है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता विभाग/एजेंसी आधार नंबर धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगी और प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने पर उसे किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगी।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4(7) में उल्लिखित है कि किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए आधार नंबर धारक का अनिवार्य प्रमाणीकरण तभी होगा जब संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा इस तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो।

इस ढांचे के अनुरूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) स्पष्ट करता है कि आधार का उपयोग इसकी प्रमुख योजनाओं में मुख्य रूप से पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हालांकि , ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि आधार की अनुपलब्धता के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी को लाभ से वंचित नहीं किया जाता है, और वैकल्पिक पहचान दस्तावेज आधार जारी होने तक स्वीकार किए जाते हैं।

*****